न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2017 (GCMS 201/00127)	20.01.2017	29.01.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

सुरेन्द्रसिंह पुत्र गोकलसिंह राजपूत मैसर्स– यश इन्टरप्राईजेज मण्डी चौराहा निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ ।

अप्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ ने परिवाद पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 01.07.2016 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा हूं और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/491 दिनांक 29.06.2015 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया है, और जिला करौली के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेशों की फोटो प्रतियां न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.03.2016 को समय 3:30 पर पीएम पर मैसर्स यश एंटरप्राइजेज मंडी चौराया निंबाहेड़ा, चित्तौड़ पर पहुंचा। वहां पर सुरेंद्रसिंह पुत्र गोकुलसिंह राजपूत (मौके पर विक्रेता) उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम कंदारिया तहसील निंबाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ उपस्थित थे, को अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं [illegible] से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। दुकान में खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:25 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (श्रीसागर ब्रांड) विक्रय हेतु प्रदर्शित थी। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (श्रीसागर ब्रांड) एक लोहे की पीपी में सील पैक करीब 15 किलोग्राम दुकान में रखा हुअे थे, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर नहीं होना बताया एवं बाद में पेश करने का निवेदन किया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच लेने हेतु लेने की सूचना फार्म नंबर 5A की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देखकर प्राप्ति रसीद ली, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (श्रीसागर ब्रांड) लगभग 1600 ग्राम वास्ते नमूना जांच लेने हेतु क्रय कर राशि 160/- रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक कर स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (श्रीसागर ब्रांड) लगभग 1600 ग्राम खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चार लेबल तैयार किए गए, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक-एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त पेपर क्लिप क्रमांक ए एम 656 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़कर सुना कर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता सुरेंद्र सिंह पुत्र गोकलसिंह राजपूत ने भी पढ़ सुन पढ़ कर समझ कर वह सही मानकर हस्ताक्षर किए। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग में फार्म नंबर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नंबर 6 की अलग से सिल्ड लिफाफे में सत्यनारायण शर्मा द्वारा खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा करवा कर अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सीलबंद नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबंद कर नमूने का चौथा भाग में फार्म नंबर 6 की प्रति के डी. ओ.(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/**FSSA/16/SP-04** दिनांक 19.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त [illegible] रिपोर्ट संख्या **LS 180/Act/2016/186**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:25 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 07.04.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (श्रीसागर ब्रांड) रिफाइंड सोयाबीन तेल (श्रीसागर ब्रांड) मिस ब्रांड होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक/**FSSA/16/SP-04** दिनांक 19.06.2016 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराए गए, जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/249 दिनांक 19.01.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ अलग है। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (श्रीसागर ब्रांड) मिस ब्रांड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है, अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त गण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सकें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 27.02.2017 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार कर बताया कि श्रीसागर ब्रांड सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया जो कि मिस ब्रांड पाया गया क्योंकि निर्माता ने पैक्ड नमून पर वांछित लेबल नहीं लगाया था। अप्रार्थी उक्त सोयाबीन आयॅल श्रीसागर ब्रांड का निर्माता से पैक्ड हालत में एस.एस.एण्ड संस माल गोदाम रोड स्टेशन के पास निम्बाहेडा से खरीद किया था। इस कारण अप्रार्थी के द्वारा वस्तुतः कोई अपराध नही किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा मैसर्स एस.एस.एण्ड संस माल गोदाम रोड स्टेशन के पास निम्बाहेडा का **VAT INVOICE Invoice No. AS554, Dated 07 March 2016** पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है।

दिनांक 27.01.2021 को उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी में परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सकें। इस पत्र विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि खाद्य पदार्थ का नमूना पैक टीन से लिया गया है। अतः नियमों के अनुसार संसूचना पैक टीन पर अंकित करने व खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप है या नहीं, इसका समूचा दायित्व निर्माता का है, इसके साथ ही कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने संबंधित अधिनियम एवं नियमों की पालना किये बगैर जो अभियोग प्रस्तुत किया है वह निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:25 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस कारण अप्रार्थी के द्वारा वस्तुतः कोई अपराध नही किया गया है। इसी ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस पत्रावली समाप्त की ।पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। मनन किया। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत मैसर्स एस.एस.एण्ड संस माल गोदाम रोड स्टेशन के पास निम्बाहेडा का **VAT INVOICE Invoice No. AS554, Dated 07 March 2016** का अवलोकन किया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT--

(1) Sample description:- The sample contain in a pet bottle. Photocopy of label Enclosed. odorless.

(ii) Physical appearance - The sample is clear, free from suspended matter, separated water, almost

(iii) Label :- Loose sample of RSBO As photocopy of label enclosed form no. VI. Brand- Shri Sagar Brand Name of food- Ref. Soyabean oil, Pkd. by-SS and Sons, Mal Godam Road, Nimbahera. Pkd on- Dec 15, Batch No.- Nil. Best before 9 Months - Present, Nutritional value-Given but not as per regulation Contravention to Regulation 2.2.2(3)(ii) & 2.2.2(8) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. Fssai Lic. No.- 12215019000144.

Opinion: The sample of Ref. Soyabean Oil (Shri Sagar Brand- Loose) Bearing code no. and serial no. AM-656 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded food under section 3(1)(Z(C) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 180/Act/2016/186** दिनांक 07.04.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (श्रीसागर ब्रांड) रिफाइंड सोयाबीन तेल (श्रीसागर ब्रांड) मिस ब्रांड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थी द्वारा ने उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ मैसर्स एस.एस. एण्ड संस माल गोदाम रोड स्टेशन के पास निम्बाहेडा द्वारा क्रय किया था। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। किन्तु [illegible] द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:25 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी सुरेन्द्रसिंह पिता गोकलसिंह जाति राजिपूत निवासी कंदारिया तहसील निंबाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह पिता गोकलसिंह जाति राजिपूत निवासी कंदारिया तहसील निंबाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त श्री सुरेन्द्रसिंह पिता गोकलसिंह जाति राजिपूत निवासी कंदारिया तहसील निंबाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:25 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:25 IST
Reason: SelfAttested